डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.-2
डब्ल्यू. पी./505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पो-122/98

(6)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378] भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 जुलाई 1998—आषाढ़ 13, शके 1920

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1998

एफ. क्र. 1-109-97-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 15 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) तथा प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड योग्यता-सह-ज्येष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) होगा".

(2) नियम 15 के उप-नियम (3) के परंतुक में शब्द "परंतु कोई भी कनिष्ठ अधिकारी" के स्थान पर शब्द "परंतु कोई भी प्रथम श्रेणी का अधिकारी" स्थापित किये जाएं.

2. यह संशोधन 15 मई, 1998 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1998

एफ. क्र. 1-109-97-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-109-97-1-चौंतीस, दिनांक 3 जुलाई 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, सचिव.

Bhopal, the 3rd July 1998

F. No. 1-109-97-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For sub-rule (2) of the rule 15, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) For preparing the select list of persons for promotion from Class II to Class I posts the criterion shall be seniority subject to fitness and for promotion from Class I to Class I posts, the criterion shall be merit-cum-seniority."

(2) In the proviso of sub-rule (3) of rule 15 for the words "provided that any junior officer" the words "provided that any Class I officer" shall be substituted.

2. This amendment shall come in force from 15th May 1998.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
I. S. DANI, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.